Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2017: 5.068, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFERRED JOURNAL, APR-MAY, 2019, VOL- 7/33

बाल निरीक्षण गृह में क्रियान्वित शैक्षिक कार्यक्रमों का बाल अपराधियों की सामाजिक परिपक्वता पर प्रभाव का अध्ययन।

भरत कुमार पंडा[1], Ph. D. & सुमेध बाबाराव ताकसांडे[2]

[1]सहायक प्राध्यापक, म. गं. अं. हिं. वि. वि. वर्धा (महाराष्ट्र)

[2]एम.फिल.(शोध छात्र), म. गं. अं. हिं. वि. वि. वर्धा (महाराष्ट्र)

Abstract

समाजशास्त्रिय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए वह उसके द्वारा निषिद्ध होता है । परंतु यहाँ चिंता का विषय यह है कि एक कोमलमती बालक जो समाज से परिपृष्ठ होना चाहिए, यदि वह समाज से निषिद्ध होने योग्य बनता है तो उसका कारण क्या हो सकता है ? निश्चित रूप से सामाजिक परिपक्वता यानी समाज के विभिन्न घटकों के साथ समायोजन करने में असमर्थ बनता है । ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के बाल अपराधियों को दण्डित किए बिना निरीक्षण गृह , सुधार गृह, संप्रेक्षण गृह, रिमांड होम. बोस्टल स्कूल आदि संस्थाओं में समाज अनुकूलन हेतु भेजा जाता हैं, अतः उक्त संस्थाओं के द्वारा बाल अपराधियों में वैयक्ति क पर्याप्तता, अंतर-वैयक्तिक पर्याप्तता और सामाजिक पर्याप्तता आदि सामाजिक परिपक्वता के घटकों का विभिन्न माध्यमों से समृद्ध किया जाना अभीष्ट विषय है जिनकी प्रभाविकता जाँच एवं परामर्शन इस शोध का लक्ष हैं ।

Keywords *- बालअपराधी, निरिक्षण गृह,सामाजिक परिपक्वता*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहा जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित2000एवं 2015)के अनुसार16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है । केवल आयु ही बाल अपराध को निर्धारित नहीं करती परंतु इसमें अपराध की गंभीरता भी महत्वपूर्ण पक्ष है । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल अपराध के लिये आयु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि व्यक्ति की मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता सदा ही आयु से प्रभावित नहीं होती । किशोर अपराध के

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

मुख्य कारणों में पारिवारिक समस्या, सहकर्मियों का दबाव, आर्थिक दारिद्र्यता, बढ़ता शहरीकरण आदि पाए जाते हैं

हावर्ड बेकर (1996) ने बाल अपराध के निम्न चार प्रकारों का उल्लेख किया है : (अ) व्यक्तिगत बाल अपराध, (ब) समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध , (स) संघठित बाल अपराध , और (द) परिस्थितिवश बाल अपराध। भारत में बाल अपराधियों को बाल निरीक्षण गृह , सम्प्रेषण गृह , रिमांड होम्स , सर्टिफाईड स्कूल , रेफोर्मेटरी स्कूल, बोर्स्टलस्कूल वे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनमें बाल-अपराधियों के हिरासत , संरक्षण और सुधार के लिए काम में लिया जाता है।

अपराधी के उपचार के लिए कई उपागमों और तरीकों का उपयोग किया जा सकता है उनमे से कुछ महत्त्वपूर्ण तरीके हैं : (1) मनोचिकित्सा (2) यथार्थ चिकित्सा (3) व्यवहार चिकित्सा (4) क्रिया चिकित्सा और (5) पर्यावरण चिकित्सा आदि हैं। दंड को उपचार उपाय नहीं माना जाता है,

सामाजिक परिपक्वता

बालक की प्राय: सभी संवेगात्मक दशाओं का सामाजिक महत्त्व होता है और बहुत सी सामाजिक समस्याओं के मूल कारण संवेगात्मक समस्याएं होती हैं। बालक सर्वप्रथम परिवार में अपने आप को समाज से संबद्ध करना सीखता है, वह अपने माता-पिता , परिवार से तथा अन्य लोगों से और बाद में अपने साथियों और अन्य वयस्कों के साथ संबंध स्थापित करना सीखता है। हर संस्कृति में प्रत्येक परिवार की अपनी कुछ प्रत्याशा एँ तथा संबंध के विन्यास होते है जो अंततोगत्वा सामाजिक कौशलों, व्यवहारों और अभिवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। बालक के सामान्य विकास के लिए सामाजिक संपर्क आवश्यक है।

बालकों की सामाजिक परिपक्वता पर प्रभाव डालने वाले कारकों में शारीरिक विकास, बुद्धि एवं सामाजिक अंतर्दृष्टि, संवेगात्मक विकास , परिवार, सामाजिक आर्थिक स्थिति, बुद्धि और आयु, खेल और विद्यालय आदि अंतर्भुक्त हैं।

सामाजिक परिपक्वता के आयाम

वैयक्तिक पर्याप्तता – एक व्यक्ति को इस योग्य बनाती है की वह औसत वातावरण में स्वतः पर्याप्त रूप से कार्य कर सके, तनाव सहन कर सके, निर्णय ले सके तथा विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रह सके

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अन्तर वैयक्तिक पर्याप्तता - उसकी क्षमता को बढाती है ताकि वह संतोषजनक ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके । एक व्यक्ति संपर्क स्थापित करने में सक्षम है, वह दूसरों के साथ परस्पर निर्भरता स्थापित करता है, उस पर विश्वास करता है और समूह में सुव्यवस्थित सामंजस्य के साथ कार्य करता है।

सामाजिक पर्याप्तता - उसे सामाजिक संपर्क के लिए योगदान देने हेतु क्षमता प्रदान करती है। इस तरह समाज के विषम परिस्थिति में जीवित रखने में योगदान देती है। एक परिपक्व व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वचन बद्ध होता है। एक परिपक्व व्यक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताओं को सहने में समर्थ होता है और सामाजिक पर्यावरण में होने वाले अनिवार्य परिवर्तनों को स्वीकार करने में समर्थ होता है।

समस्या कथन

"बाल निरीक्षण गृह में क्रियान्वित शैक्षिक कार्यक्रमों का बाल अपराधियों की सामाजिक परिपक्वता पर प्रभाव का अध्ययन"

पारिभाषिक शब्दावली

1 बाल अपराधी

एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु वाला वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी या विधि विरोधी कार्य करते हुए दोषी पाया गया हो।

2 बाल निरीक्षण गृह

बाल निरीक्षण गृह वह स्थान है जहाँ बाल अपराधियों में सुधार लाने हेतु प्रयास किया जाता है।

शोध का परिसीमन

1. प्रस्तुत शोध महाराष्ट्र राज्य के नागपुर व वर्धा जिले तक ही सीमित है।
2. प्रस्तुत शोध बाल निरीक्षण गृह तक ही सीमित है।
3. यह शोध बाल अपराधियों तक ही सीमित है।

शोध उद्देश्य:-

1. बाल निरीक्षण गृह में चलाये जाने वाले शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
2. बाल अपराधियों में पायी जाने वाली सामाजिक परिपक्वता के स्तर का अध्ययन करना।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

3. बाल निरीक्षण गृह के अपराधी बालक एवं सामान्य बालकों की सामाजिक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना:-

H_{01}: अपराधी बालकों की सामाजिक परिपक्वता एवं सामान्य बालकों की सामाजिक परिपक्वता के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

न्यादर्श:-

समय एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता द्वारा अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में नागपुर और वर्धा के बाल निरीक्षण गृह से 30 बाल अपराधियों का एवं 30 सामान्य बालकों का चयन उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन तकनीकी द्वारा किया गया है।

प्रयुक्त उपकरण:-

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा प्रदत्त संकलन हेतु डॉ. नलिनी राव द्वारा निर्मित सामाजिक परिपक्वता मापनी और स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

उद्देश्य 1 – बाल निरीक्षण गृह में चलाये जाने वाले शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अध्ययन।

बाल अपराधियों में सुधार लाने हेतु परिवीक्षा सेवाएं महत्वपूर्ण काम करती हैं , जिसमें निरीक्षण गृह, रिमांड होम्स, सर्टिफाईड स्कूल, रेफोर्मेंटरी स्कूल, बोर्स्टलस्कूल, और प्रोबेशनहॉस्पिटल वे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिन्हें भारत में बाल-अपराधियों के हिरासत, संरक्षण और सुधार के लिए काम में लिया जाता है। इस शोध में प्रदत्त संकलन हेतु नागपुर एवं वर्धा के बाल निरीक्षण गृह और वहां पर स्थित बाल अपराधी को न्यादर्श के रूप में लिया गया था।

बाल निरीक्षण गृह में निम्न प्रकार के शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायें जाते है।

प्रशिक्षण शिविर : बाल निरिक्षण गृह में विविध साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाता है , जिसमें बालकों को मार्गदर्शन करने के लिए न्यायाधीश , मनोवैज्ञानिक, और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को बाल निरिक्षण गृह में बुलाया जाता है।

निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम : प्रत्येक निरीक्षण गृह में एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जाती हैं , जिसका काम बालकों के व्यवहार में सुधार लाना होता है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

जीवन कौशल विकास : जीवन कौशल विकास द्वारा अपराधी बालकों की विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना और उनमें कुशलताओं का विकास करना होता है।

खेल एवं मनोरंजन सुविधाएँ : बाल निरिक्षण गृह में अपराधी बालकों के लिए खेल खेलने की भी सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें शतरंज, कैरमबोर्ड जैसी सुविधा उपलब्ध है और मनोरंजन हेतु अखबार, ज्ञानवर्धक पुस्तकें, मैगजीन और किताबें उपलब्ध रहती है।

उद्देश्य 2 – बाल अपराधियों में पायी जाने वाली सामाजिक परिपक्वता के स्तर का अध्ययन ।

सामाजिक परिपक्वता सारणी

अपराधी बालक					सामान्य बालक			
C.I	**F**	**F %**	**C.F**	**C.F %**	**F**	**F%**	**C.F**	**C.F %**
150-159	**2**	**6.66 %**	**2**	**6.66 %**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
160-169	**17**	**56.66 %**	**19**	**63.33 %**	**9**	**30%**	**9**	**30%**
170-179	**7**	**23.33 %**	**26**	**86.66 %**	**10**	**33.33%**	**19**	**63.33%**
180-189	**4**	**30 %**	**30**	**100 %**	**8**	**26.66%**	**27**	**90%**
190-199	**0**	**13.33 %**	**30**	**100 %**	**3**	**9.99%**	**30**	**100%**
मध्यमान = 168.83 **मानक विचलन = 6.22**					**मध्यमान = 176.16** **मानक विचलन = 5.81**			

उपयुक्त सारणी में अपराधी बालकों की सामाजिक परिपक्वता के प्राप्तांकों का विस्तार 150 से 199 अंक के बीच में हैं। इन प्राप्तांकों का मध्यमान 168.83 इतना है जो की 160 से 169 के वर्ग-अंतराल में उपस्थित हैं। इस मध्यमान के अंतर्गत 17 बालक विद्यमान हैं। अर्थात् स्वीकृत प्रतिदर्श में 56.66 % बालक मध्यमान के केंद्र में , 6.66 % बालक मध्यमान के नीचे और 39.66 % बालक मध्यमान से ऊपर हैं। अर्थात् उत्तम सामाजिक परिपक्वता 39.66 % बालकों में पायी गयी हैं। यहाँ 6.22 मानक विचलन प्रति वर्ग को विचलित करता हैं। सामान्य बालकों का मध्यमान 176.16 है जिसमें 33.33% बालक सम्मिलित है मध्यमान के ऊपर 36.66% बालक एवं नीचे 30% बालक आते है और मानक विचलन 5.81 आया है। इससे हम ये कह सकते हैं की अपराधी बालकों की सामाजिक परिपक्वता असंतोषजनक है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उद्देश्य 3 – बाल निरीक्षण गृह के अपराधी बालकों एवं सामान्य बालकों में सामाजिक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अपराधी बालकों एवं सामान्य बालकों की सामाजिक परिपक्वता तालिका

चर	Mean	SD	N	Df	t-cal.	t-cri. (0.05)
अपराधी बच्चे	168.83	6.22	30	58	4.69	1.671
सामान्य बच्चे	176.16	5.81	30			

उपरोक्त तालिका अवलोकन से df 58 पर 0.05 स्तर पर गणना कियागया t-मान 4.69 है एवं सारणी t-मान 1.671 ज्ञात होता है। यहाँगणना किया गया t-मान0.05 स्तर केतालिका t-मान से ज्यादा है। इसलिए ' t'प्राप्तांक मूल्य सार्थक होने की वजह से शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती हैं।

इससे यह स्पष्ट हो जाता हैं की अपराधी बालकों एवं सामान्य बालकों की सामाजिक परिपक्वता में अंतर है। मध्यमानों को देखने से यह ज्ञात होता है कि अपराधी बालकों की सामाजिक परिपक्वता संबंधित मध्यमान (168.83) तथा सामान्य बालकों कि सामाजिक परिपक्वता संबंधित मध्यमान (176.16) है। यहाँ मध्यमान में 7.33का अंतर दिखता है। अतः हम कह सकते हैं कि अपराधी बालकों कि सामाजिक परिपक्वता सामान्य बालकों कि सामाजिक परिपक्वता से कम है। यहाँ हम अपराधी बालकों का मानक विचलन 6.22 एवं सामान्य बालकों का मानक विचलन 5.81 को देखते हैं तो दोनों में 0.41 का अंतर दिखाई देता है , जबकि तालिका मूल्य देखने से पता चल जाता है की सार्थक रूप से अंतर है। पूर्ववर्ती शोध परिणाम भी हमारे शोध परिणाम के ही समान है। हमारे शोध परिणाम में अपराधी बालकों कि सामाजिक परिपक्वता एवं सामान्य बालकों कि सामाजिक परिपक्वता में सार्थक अंतर पाया गया है अर्थात हम कह सकते है की अपराधी बालकों एवं सामान्य बालकों कि सामाजिक परिपक्वता अंतर होता है।

अध्ययन के मुख्य परिणाम

1- उच्च सामाजिक पर्याप्तता रखने वाले अपराधी बालक 13.33% है, वही सामान्य बालकों में उच्च परिपक्वता रखने वाले बालक 36.66% हैं।

2- निम्न परिपक्वता वाले अपराधी बालक 63.33% है तो वही सामान्य बालक 30% हैं।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

3- औसतन सामाजिक परिपक्वता रखने वाले अपराधी बालक 23.33% है वही सामान्य बालक 33.33% हैं।

4- अपराधी बालकों की सामाजिक परिपक्वता एवं सामान्य बालकों की सामाजिक परिपक्वता में सार्थक अंतर पाया गया।

शोध के निष्कर्ष:-

इस अध्ययन में विभिन्न उद्देश्यों के आधार से गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रदत्तों का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के आधार से प्राप्त निष्कर्ष को अधोनिर्दिष्ट प्रकार से स्पष्ट किया जा रहा है।

बाल निरीक्षण गृह में बाल अपराधियों के सामाजिक परिपक्वता में सुधार लाने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाते है, जिसमें प्रमुख रूप से जीवन विकास कौशल, प्रशिक्षण शिविर , निर्देशन एवं परामर्शन कार्यक्रम शामिल है और विविध खेलों का आयोजन होता है, मनोरंजक सुविधा और ज्ञान वर्धक पुस्तक भी उपलब्ध कराया जाता है। उनमें से निर्देशन एवं परामर्शन कार्यक्रम एवं जीवन विकास कौशल कार्यक्रम महत्वपूर्ण है जो अपराधी बालकों में सामाजिक परिपक्वता संवर्धन में उपयोगी है, साथ ही साथ विविध खेलों का आयोजन एवं विविध पुस्तकों के अध्ययन द्वारा जीवन को नियंत्रित करने में सहायता होती है।

द्वितीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु डॉ. नलिनी राव द्वारा निर्मित मानकीकृत सामाजिक परिपक्वता मापनी के आधार पर बाल अपराधियों के सामाजिक परिपक्वता स्तर को जानने के प्रयास किया गया और पाया गया की अपराधी बालकों कि वैयक्तिक पर्याप्तता संतोषजनक है परन्तु अंतर-वैयक्तिक पर्याप्तता एवं सामाजिक पर्याप्तता अत्यंत असंतोषजनक पायी गयी है। इसके आधार पर सामाजिक पर्याप्तता भी असंतोषजनक पायी गयी है।

तृतीय उद्देश्य प्राप्ति हेतु डॉ. नलिनी राव द्वारा निर्मित सामाजिक परिपक्वता मापनी के द्वारा बाल निरीक्षण गृह के अपराधी बालकों एवं सामान्य बालकों में तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि वैयक्तिक पर्याप्तता में सामान्य एवं अपराधी बालकों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया परन्तु अंतर-वैयक्तिक पर्याप्तता में अपराधी एवं सामान्य बालकों में सार्थक अंतर पाया गया। सामाजिक पर्याप्तता में अपराधी बालकों एवं सामान्य बालकों में भी कोई सार्थक अंतर नहीं था। सम्पूर्ण सामाजिक परिपक्वता मापनी में अपराधी एवं सामान्य बालकों में विशेष रूप से सार्थक अंतर पाया गया।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शैक्षिक निहितार्थ व परामर्श

अपराधी बालकों के जीवन के कौशल में निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम उनकी सामाजिक परिपक्वता में सुधार लाने हेतु कारगर सिद्ध होते है अगर बालकों को उचित मार्गदर्शन एवं परामर्शन दिया जाये और उचित एवं अनुचित भेद बताया जाये तो आसानी से अनुशासनहीन अपराधी बालकों के व्यवहार में परिमार्जन किया जा सकता है। शोधकर्ता ने पाया की बाल अपराध के मुख्य कारण का केंद्र बिंदु धैर्य की कमी थी। इस धैर्य की सीमा को योग के माध्यम से बढाया जा सकता है और उनमें सुधारात्मक परिवर्तन एवं सृजनात्मक भावनाओं का विकास किया जा सकता है। अपराधी बालकों को शिक्षा प्रदान करना एक जटिल कार्य है, परंतु योग अभ्यास (आसन, प्राणायाम एवं ध्यान) के माध्यम से बाल अपराधियों के मानसिक स्वास्थ्य, नैतिक निर्णय एवं सामाजिक समायोजन में सुधारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है, अतः प्रत्येक विद्यालय में योग का कुशल प्रशिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए जो प्रतिदिन प्रातः प्रार्थना, गायत्री मंत्र के साथ योग का अभ्यास कराये। साथ ही अष्टांग योग के आठ अंगों (यम, नियम, आसन, प्राणायाम,प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि) का पालन कैसे करें ? इसका भी ज्ञान करायें और समझाए की अष्टांग योग का पालन सभी के लिए अनिवार्य है, इसके द्वारा बाल अपराधियों के सामाजिक परिपक्वता में सुधार किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ:-

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603//79927 . - से नवम्बर 12 2018 को पुनाप्राप्ति
*https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/*10603/122508. - से नवम्बर 30 2018 को पुनाप्राप्ति.
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/171313. - से जनवरी 15 2019 को पुनाप्राप्ति
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/193401- से जनवरी 18 2019 को पुनाप्राप्ति

उबले, ए. बी. (2016). *किशोर अपराधियों की आपराधिक प्रवृत्तियों का नैदानिक अध्ययन* . पी-एच.डी. शोध प्रबंध. श्री जगदीश झाबरमलतिबरेवाला विश्वविद्यालय, राजस्थान.

भट्ट (2014*).जूवेनाईलडेलीक्विंसी इन कश्मीर: ए केस स्टडी ऑफ़ ऑब्जरवेशन होम.* हरवान श्रीनगर. पी-एच. डी. शोध प्रबंध (अप्रकाशित) समाजशास्त्र विभाग, कश्मीर, श्रीनगर विश्वविद्यालय

मोदी, पी.वाय.(*2014*).*इन्दोर शहर के बाल अपराधियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण* ; पी-एच.डी. शोध प्रबंध. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दोर.

यादव, ए. के. (2014).*पारिवारिक वातावरण एवं बाल अपराध : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन* – पी-एच.डी. शोध प्रबंध. समाजशास्त्र विभाग, वि. बि. एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय.

श्यामला, डी. ए. (*2016*). *सामाजिक चिंता और आक्रामकता का किशोर अपराधियों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंध*– पी-एच. डी. शोध प्रबंध. शिक्षा विभाग ,मनोंमनियमसुन्दरानर विश्वविद्यालय (*ManonmaniamSundaranar University*)

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies